न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 242/2021
3. उनवान : सरकार जरिये जयराम गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   प्रो. मालीराम कुमावत, विनायक एन्टरप्राइजेज एवं श्री विनायक गैस सर्विसेज रेलवे फाटक के सामने बायपास रोड रेनवाल सांभर।
4. निर्णय दिनांक : 08.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री रामप्रकाश कुमावत अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, सांभर (जयपुर ग्रामीण), जिला जयपुर श्री जयराम गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका जांच, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि दिनांक 21.01.2020 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को श्रीमान जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार अवैध रुप से भण्डारित गैस सिलेण्डरों की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के दिनांक 08.01.2020 को विनायक एन्टरप्राइजेज एवं विनायक गैस सर्विसेज पर पंहुचे। वक्त जांच मौके पर श्री मालीराम कुमावत उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को पचार इण्डेन ग्रामीण वितरक पचार तहसील दातारामगढ जिला सीकर का वाइस मैनेजर होना बताया। मालीराम कुमावत ने मौके पर एजेंसी द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत किया। श्री कुमावत ने बताया कि पचार इण्डेन ग्रामीण वितरक एजेंसी द्वारा उन्हे प्रतिमाह 14 हजार रुपये वेतन के रुप में दिये जाते है उक्त गैस एजेंसी से प्रतिदिन अमूमन 30 से 35 गैस सिलेण्डर आपूर्ति के लिए आते हैं जिन्हे वह रेनवाल कस्बे में आपूर्ति करते है। इसी दुकान में उनके द्वारा गैस चूल्हा रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। श्री कुमावत की उपस्थिति में जांच की। जांच में मौके पर 19 घरेलू गैस ग्राहक कार्ड तथा 24 जीएसटी इनवायस दामारामगढ इण्डेन गैस सर्विस (इण्डेन वितरक) दाता रोड बस स्टैण्ड के पास दातारामगढ सीकर के प्राप्त हुए। उक्त दुकान में 14.2 किग्रा. भार के इण्डेन के 7 खाली सिलेण्डर एवं 5 किग्रा भार का एक सिलेण्डर है। इनके बारे में पूछने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और न ही संतोषजनक जवाब दिया गया। मौके पर उनके बांये तरफ वाली दूसरी दुकान में 14.2 किग्रा भार के 34 खाली तथा 3 भरे हुए एवं 19.0 किग्रा भार के 3 भरे हुए सिलेण्डर मिले जिसके बाबत पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज, अनुज्ञापत्र आदि प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उक्त मुल 48 गैस सिलेण्डर कब्जेराज लिया जाकर पृथक से फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर शामिल फर्द किया गया। मौके पर रेनवाल इण्डेन गैस एजेंसी के कार्यकर्ता श्री राजेश कुमावत एवं श्री कमल भादू से तौलमाप करवाकर श्री राजेश कुमार बांगड कार्यकर्ता रेनवाल इण्डेन गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री मालीराम कुमावत द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 48 गैस सिलेण्डर मय 105.56 किग्रा. एलपीजी को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

की एलपीजी ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 21.01.2020 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री आर. सी. कुमार ने दिनांक 17.02.2020 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें निम्न आपत्तियां अंकित की हैः–

   i) उक्त प्रकरण पूर्णतया मिथ्या मनगढन्त आधारों पर द्वेषता के कारण पेश किया गया है। प्रकरण में फर्द मौका, फर्द अधिग्रहण रिपोर्ट मय तलपटटी, सुपुर्दगी––नामा मय तलपटटी आदि जो तैयार किये गये है वो मनमाफिक तैयार किये है तथा अप्रार्थी के तो मात्र खाली पेपरों पर हस्ताक्षर कराये गये थे। इसलिये परिवाद चलने योग्य नहीं है।

   ii) अप्रार्थी पचार इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी का वाईस मैनेजर है। अप्रार्थी, डिलेवरी मेन व चालक का आई कार्ड एवं चालक का डी एल व डिलेवरी के लिये निकली गाडी का गेट पास प्रदर्श है।

   iii) रोजाना की तरह गैस बुकिंग उपभोक्ताओं को डिलेवरी मेन द्वारा गाडी से घर–घर जाकर सील पेक सिलेण्डर उपलब्ध करा दिये गये और उपयोग उपभोग हुये खाली सिलेण्डरों को लेते गये। जिनकी संख्या 41 थी और शेष रहे सील्ड तीन इण्डेन सिलेण्डर गाडी में रखे हुये थे।

   iv) उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग कराने पर केश मीमो जारी किये जिनकी फोटो प्रतिया प्रदर्श है। डिलेवरी मेन द्वारा उपभोक्ताओं को दिये गये सील्ड पेक सिलेण्डर और वापस लिये गये खाली सिलेण्डर का रजिस्टर प्रदर्श है।

   v) इसी दौरान गाडी वापस लौटते समय रेनवाल कस्बे में खराब हो गई ऐसी स्थिति में उक्त खाली 41 सिलेण्डरों शेष तीन भरे सिलेण्डरों को डिलेवरी मेन व चालक ने सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त जगह देख कर कुछ समय के लिये उतार दिया और गाडी रिपेयरिंग के लिये लेकर गये। जहां पर गाडी रिपेयर होने में काफी समय लग गया। रिपेयर का बिल प्रदर्श है।

   vi) इसी दौरान उक्त कम्पनी के वाइस मैनेजर के भाई चाय की दुकान का कारोबार करते है के कोमर्शियल 19 किलो के तीन भरे हुये और 5 किलो का खाली सिलेण्डर भी उक्त सिलेण्डरों के पास ही इसलिये मंगवाये गये ताकि उसी गाडी में जो रिपेयर होकर कुछ समय पश्चात आने वाली थी वो मैनेजर की भाई की दुकान पर चले जायेंगे। उक्त तीन सिलेण्डरों के विधिक रुप से जारी कराने का गैस बुक प्रदर्श है।

   vii) उक्त जांच दल किसी अन्य गैस ऐजेन्सी के द्वारा द्वेषतापूर्ण शिकायत करने पर वहां पर आया और उसने बिना डिलेवरी मेन से पूछे मनमर्जी से उक्त कार्यवाही अमल में ला दी। डिलेवरी मेन द्वारा अप्रार्थी को फोन करने पर मौके पर पहुंचा और जांच दल को उस समय सारी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया व समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये लेकिन उनके द्वारा अप्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी व मनमाने रुप से अवैधानिक कार्यवाही अप्रार्थी के विरुद्ध कर दी और श्रीमान न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में निम्न तथ्यात्मक जवाब अंकित किया है:–

i) अप्रार्थी की एजेन्सी में ग्राहकों की बढती संख्या को देख कर आस पास की अन्य गैस एजेन्सीयां हमारी एजेन्सी से रंजिश रखने लग गई है और उन्होंने एक झूठी मनगढन्त शिकायत कर उक्त अधिकारियों से मिल कर एक झूठी फर्द मौका, फर्द अधिग्रहण मय तलपटटी सुपुर्दगीनामा, सूची घरेलू गैस कार्ड वगैरा बनाकर पेश कर दिये हैं जो पूर्णतया आधारहीन है।

ii) उक्त गैस एजेन्सी का या अप्रार्थी का इस तरह का कोई पता व फर्म वहां नहीं है यदि इस तरह का कोई फर्म या पता होता तो उसका फोटो पेश किया जाता व उस दुकान को सीज किया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया जाना भी प्रकरण में वर्णित तथ्यों को संदेहास्पद जाहिर करता है।

iii) मौके पर अप्रार्थी मौजूद नहीं था। अप्रार्थी को डिलेवरी मेन द्वारा फोन कर बुलाये जाने पर अप्रार्थी मौके पर आया था। अप्रार्थी पचार गैस एजेन्सी का वाईस मैनेजर है। जहां गैस एजेन्सी के सिलेण्डर जब्त किये गये है वहां पर रोजाना विधिवत रुप से आपूर्ति की जाती है।

iv) अप्रार्थी की ना तो कोई दुकान है ना ही गैस चूल्हा रिपेयरिंग क काम करता है। इस आधार पर जो भी सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वे एजेन्सी के वैध सिलेण्डर हैं।

v) मौके पर प्राप्त 19 घरेलू उभोक्ता कार्ड व 24 जी एस टी इनवोईस नाम परिवर्तन व गैस बुक में नाम ट्रांसफर करने के लिये लाये गये थे अप्रार्थी की एजेन्सी के नहीं थे।

vi) जब्त किये गये सभी सिलेण्डर डिलेवरी की गाडी खराब हो जाने के कारण खाली जगह पर सुरक्षित रुप से डिलेवरी मेन के कब्जे में थे ना कि दुकान में पाये गये और इनसे सम्बन्धित सभी कागजात व अनुज्ञा पत्र जांच दल को पेश कर दिये गये थे।

vii) जब्तशुदा 48 सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 105.56 किलो बताया गया है। जो सरासर गलत है। अप्रार्थीगण के समक्ष उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों की कोई माप नहीं की ना ही फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा बनाया गया। अप्रार्थी से केवल खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सिलेण्डरों में से 44 सिलेण्डर पचार गैस एजेन्सी के थे जिनमें से 31 तो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लिये हुये थे जिनमें लेश मात्र भी गैस नहीं थी। 3 सिलेण्डर 19 किलो के सील्ड थे और पांच किलो का एक सिलेण्डर खाली था। इस प्रकार 48 सिलेण्डरों में किसी भी सुरत में 105.56 किलो गैस नही बनती है। केवल झूठा फंसाने के लिये गलत भार का अंकन किया गया है।

viii) अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध जो मिथ्या मनगढन्त आधारों पर झूठा परिवाद पेश किया है उसे खारिज फरमाने की कृपा करें व अप्रार्थी के व गैस एजेन्सी के जब्त किय गये सभी सिलेण्डर लोटाये जाने के आदेश फरमावें।

4. पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डरों को अवैध रुप से भण्डारित कर विक्रय किया जा रहा था, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज भी नहीं पेश किये गए हैं। इस प्रकार श्री मालीराम कुमावत द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 48 गैस सिलेण्डर मय 105.56 किग्रा. एलपीजी को राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी पचार गैस एजेन्सी में वाइस मैनेजर है। जांच दल द्वारा जब्त किये गये घरेलू सिलेण्डर ऐजेन्सी के हैं। डिलीवरी मेन व वाइस मैनेजर के आई कार्ड व डिलीवरी के लिये निकली गाडी का गेट पास पेश किये हुये हैं। जिन उपभोक्ताओं को सिलेण्डर वितरण करने थे, उनकी रसीदें एवं सूची पेश है। अप्रार्थी की गैस एजेन्सी के उपभोक्ता ज्यादा होने से दूसरी एजेंसी वालों ने द्वेषपूर्ण तरीके से शिकायत कर के मुकदमा दर्ज करवाया है। जांच दल ने इस सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। जो भी सिलेण्डर जब्त किये गये हैं, वे एजेन्सी के वैध सिलेण्डर हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर जब्त घरेलू सिलेण्डर देने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा जवाब व बहस में सिलेण्डर पचार गैस एजेन्सी जिला सीकर के होना अवगत कराया है, किन्तु उक्त गैस एजेन्सी का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में होने के बाबत कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। साथ ही उक्त ऐजेन्सी के जिस डीलीवरीमैन एवं वाहन चालक को रेनवाल कस्बे में आना व गाडी खराब होना बताया गया है, उनकी तरफ से कोई बयान, शपथ पत्र अथवा साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है और ना ही उक्त गैस एजेन्सी अथवा उनके डीलेवरी मैन द्वारा सिलेण्डरों को प्राप्त करने के लिए कोई क्लेम किया गया है। जिससे अप्रार्थी का जवाब/कथन संदिग्ध एवं अविश्वसनीय पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 08.01.2020 को जब्त 14.2 किग्रा. भार के इण्डेन के 41 खाली व 3 भरे हुये, 19 किग्रा. भार के 3 भरे हुए व 5 किग्रा. का 1 सिलेण्डर (कुल 48 सिलेण्डर) राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये सिलेण्डर कुल 48 सिलेण्डरों का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।